

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रेस नोट सं० 209, दिनांक-26-08-2020

बीमा मे बोनस देने, जीवन भर हेल्थ इश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे रूपया दोगुना करने का झांसा देकर रिटायर्ड अधिकारियों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 06 अभियुक्त लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 26-08-2020 को एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को बीमा मे बोनस देने, जीवन भर हेल्थ इश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे रूपया दोगुना करने का झांसा देकर रिटायर्ड अधिकारियों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 06 अभियुक्तों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-

1. अभिनव सक्सेना उर्फ टीटू पुत्र अयोध्या प्रसाद सक्सेना, निवासी ग्राम भीटी, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर। हाल पता- ए 1233/03 इन्दिरा नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
2. वेदप्रकाश द्विवेदी उर्फ पिंटू पुत्र जयप्रकाश द्विवेदी, निवासी सकरपुर सिंधिया, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थ नगर। हाल पता 114 देवरिया गोमतीनगर विस्तार, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ।
3. मो० अरमान पुत्र मो० सलीम निवासी बन्नी सुलेमाबाद, थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी।
4. नेहा सक्सेना पत्नी रितेश सिंह निवासी जी- 50 लिबर्टी कालोनी, सर्वोदय नगर इन्दिरा नगर, थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ।
5. प्रिया सक्सेना पत्नी अभिनव सक्सेना निवासी ग्राम भीटी, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर। हाल पता- ए 1233/03 इन्दिरा नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
6. मिनाक्षी भारती पत्नी संजीव भारती निवासी फ्लैट न० 602, गंगासागर अपार्टमेंट, नरही, थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ।

बरामदगी-

1. 11 अदद मोबाइल फोन।
2. 01 अदद एटीएम कार्ड।
3. 03 अदद चेक बुक।
4. 03 अदद पास बुक।
5. 04 अदद आधार कार्ड।
6. 03 अदद पैस कार्ड।
7. 01 अदद एम आइ एस रजिस्टर।
8. 70 अदद चेक (हस्तरक्षरित एव सादे)।
9. 01 अदद स्टाम पेपर साद हस्ताक्षरित
10. 37 पेज कस्टमर डेटा।
11. रूपये 1710/- नकद।
12. 01 अदद चार पहिया वाहन एम जी हेक्टर नम्बर यूपी 32 केएक्स 2000।

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

दिनांक :- 26.08.2020, स्थान:- मीनाबाजार, इन्दिरा नगर, लखनऊ समय:- 07.10 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से बीमा मे बोनस देने, जीवन भर हेल्थ इश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे रूपया दोगुना करने का लालच देकर जनता से करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले गिरोह की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में श्री अभिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम मे साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रिटायर्ड अपर निदेशक उ0प्र0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं डाक्टर श्री सीबी चौरासिया निवासी इंदिरा नगर, लखनऊ से लगभग 40 लाख व रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक श्री रंजीत सिंह बोरा निवासी एन0डी0 तिवारी नगर, थाना विकास नगर, लखनऊ से रू 4,14,474/ की ठगी बीमा मे बोनस देने जीवन भर हेल्थ इश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे दोगुना करने का लालच देकर ठगों द्वारा फर्जी कम्पनियों **एलायंज ग्रीन सिटी, आर0आई0एल0 डेवलपर्स, एम0डी0आई0 ई कामर्स, मैक्स लाइफ म्युचुअल फाउंडेशन, गोल्डेन आरकिड, वेट फोलिओ सर्विस** आदि के नाम पर खोले गये बैंक खातों मे जमा कराकर की गयी है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे श्री सीबी चौरासिया द्वारा थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ मे मु0अ0स0 183/20 व श्री रंजीत सिंह बोरा द्वारा थाना विकास नगर, जनपद लखनऊ मे 87/2019 पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य मे सूचना को विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 26.08.2020 को इन्दिरा नगर, जनपद लखनऊ से उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पूछ-ताछ मे उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त अभिनव सक्सेना ने बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है। हमारे गिरोह का सदस्य वेद प्रकाश, जो फर्जी नाम पते पर कम्पनी रजिस्टर्ड कराता है एवं कम्पनियों के नाम पर विभिन्न बैंकों मे खाता खुलवाता है। कम्पनियों के नाम पर खोले गये बैंक खातों के ए0टी0एम0 व चेक बुक हस्ताक्षरित कराकर वेद मुझे उपलब्ध करा देता है। जिसके लिए वेद ठगी से खातों मे आये हुए रूपयों का 25 प्रतिशत कमीन लेता है। नेहा सक्सेना जो मेरी बहन है व पी0एन0बी0 मेट लाइफ मे कार्यरत है, मुझे इश्योरेंश से सम्बन्धित कस्टमर का डेटा उपलब्ध कराती है। इस डेटा पर मेरी पत्नी प्रिया, मिनाक्षी के साथ मिलकर दिल्ली, मुम्बई आफिस की इश्योरेंश कर्मचारी बनकर राशी, श्रद्धा, अशी मलिक मोनिका आदि नाम से नाम बदल-बदल कर काल करती व कराती है। हम लोगों द्वारा ज्यादातर रिटायर्ड अधिकारियों को टारगेट किया जाता है। कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए इश्योरेंश कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रिया व मिनाक्षी द्वारा कम्पनी के नम्बर से कस्टमर को काल एसएमएस व व्हटसएप कराया जाता है। जब कस्टमर को विश्वास हो जाता है तो मैं व मिनाक्षी कस्टमर से जाकर मिलते है। यदि कस्टमर कैश मे पेमेंट नही करता तो उससे पी0एन0बी0, मैक्स लाइफ, आर0एल0आई0 आदि नाम से चेक ले लेते है। और बाद मे मैक्सलाइफ के आगे म्युचुअल फाउंडेशन, पी0एन0बी0 के आगे सर्विसेज आदि लिख कर फर्जी कम्पनियो के बैंक खातों मे भुना लेते है। वेद को 25 प्रतिशत कमीशन देकर बचे रूपये को हम लोग आपस मे बराबर-बराबर बांट लेते हैं। इसके अतिरिक्त कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए मिनाक्षी और प्रिया मिलकर कूटरचित बांड व रसीदें तैयार कर लेती हैं, जिससे कस्टमर का रिनिवल मिलता रहता है। कई वर्ष तक रिनिवल जमा करने पर जब कस्टमर को बतायी गयी योजना के तहत लाभ/बोनस नही मिलता है तो वह पुलिस या इश्योरेंश कम्पनी के आफिस जाने की बात करता है। तब हम लोगों द्वारा ग्राहकों को फोन करके खुद को आई0आर0डी0ए0 (Insurance Regulatory and Development Authority of India) का अधिकारी बताकर अपने पास शिकायत दर्ज करा ली जाती है और एडवोकेट से सिविल सूट दायर करने, इसके बाद रूपया वापस दिलाने व

वापस मिल रहे रूपये का जी०एस०टी० आदि के नाम पर भी कस्टमर से 2-3 वर्ष तक ठगी की जाती है। इस काम मे मेरी मदद मेरे बहनोई रितेश सिंह करते थे परन्तु पिछले महीने ही पुलिस ने उनको थाना विकास नगर, जनपद लखनऊ मे पंजीकृत मु०अ०स० 87/2019 धारा 420 भा०द०वि० मे गिरफ्तार कर लिया था, जो कि लखनऊ जेल मे निरूद्ध है। हमारे व रितेश के काल सेंटर मे लगभग 30 टैलीकालर काम करते थे परन्तु रितेश के जेल जाने के बाद से हमने अपना कालसेंटर बन्द कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस गैंग द्वारा विगत 5 वर्ष मे सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की जा चुकी है। इस गैंग के सदस्य पूर्व मे विभिन्न इंश्योरेंश कम्पनियों मे भी कार्य कर चुके है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को मु०अ०सं० 183/20 धारा 419/420/406/467/468/471/120बी भा०द०वि० व 66 सूचना प्रोद्योगिकी अधि० थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।